रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1510/2025/1121/22-2-2025-17(551)/2023

लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सौरभ (बन्दी सं0-24165) पुत्र श्री महेश ब्राह्मण, ब्रह्मपुरी उर्फ हथलेड़ी, थाना-सोरों, जनपद-एटा वर्तमान जनपद-कासगंज का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-823/2001, धारा-302, 376/511 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक-01, एटा के दण्डादेश दिनांक 05.11.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.06.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। अन्य वाद जेल में मोबाइल प्रयोग करने के मामले में जेल अपराध के अन्तर्गत मु०अ०सं०-237/2017, धारा-420, 504, 506 आई०पी०सी० धारा 45 के उपखण्ड 7(9)(1) जेल अधि० 1894 थाना-फतेहगढ़ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज एवं आरोप पत्र दाखिल किया गया एवं 12 दिन का परिहार जब्त करने का दण्ड दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.08.2025 तक अपरिहार 22 वर्ष, 07 माह, 14 दिन तथा 28 वर्ष, 07 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या- 1510/2025/1121(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

4- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

5- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।